(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित अन्य स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) रक्षा/सी.आर.पी.एफ./बी. एस. एफ. कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(v) अन्य यायावर जनसंख्या के बच्चे, जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में अपनाई गई अध्ययन पद्धति अपनाने की इच्छुक असैनिक जनसंख्या शामिल है।

प्रवेश के समय, अनु.जा. तथा अनु. ज. जा. के बच्चों को क्रमश: 5% तथा $7\frac{1}{2}$% का आरक्षण प्रदान किया जाता है।

2. नवोदय-विद्यालय

नवोदय विद्यालयों में दाखिला एक परीक्षा के आधार पर कक्षा–VI के स्तर पर किया जाता है तथा यह परीक्षा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा सम्बन्धित जिलों में आयोजित की जाती है, जिसमें वे सभी छात्र बैठ सकते हैं, जिन्होंने जिले के किसी भी तहसील/ब्लाक के मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई की हो और कक्षा–V उत्तीर्ण की हो।

अनु.जा./अनु.ज.जा. के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण, सम्बन्धित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, बशर्ते कि किसी भी जिले में यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत अर्थात अनु. जा./अनु.ज.जा. के लिए क्रमश: 15% तथा $7\frac{1}{2}$% से कम नहीं है।

Representation for Promotion as P.G.T.

2504. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some representations were received by the Directorate of Education, Delhi Administration, from the eligible trained Graduate Teachers who were not promoted as P.G.Ts. in different subjects against the departmental quotation November/December, 1991

(b) if so, what are the details of such teachers subject-wise and date(s) on which representations were received from them and what action has been taken by the Directorate on their representations so far;

(c) whether another eligibility List of T.G.T.s. for promotion to the Grade of P.G.Ts. in different subjects has been issued by the Directorate in June, 1992 wherein the left out names of November/December, 1991 do not figure; and

(d) if so, what are the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA) : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement (*See below*) is attached.

(c) Yes, Sir.

(d) As per the procedure being followed by the Delhi Admn., biodata of the teachers are called every year for inculsion in the eligibility List. Such teachers who fail to send their biodata within the prescribed period are not included in the eligibility list. Delhi Admn. has intimated that due to these reasons the names of the candidates left out in 1991 do not figure in the latest eligibility list also. The Ministry of Human Resource Development has written to the Delhi Administration to review this procedure to ensure that names of the eligible candidates are not left out at all from the eligibility list.

Statement

List of Representations received during November/December 1991

Sl. No.	Name of teacher	Subject	Date of receipt
1	Ram Kishan Rastogi	Pol. Sc.	6-11-91
2	Nisha Rani Jain	History	Do.
3	N.P. Singh	History	8-11-91
4	M.S. Agarwal	Hindi	12-11-91
5	Ram Kishan Rohilla	English	14-11-91
6	Anuradha Rani	Physics	15-11-91
7	Bhupender Kapoor	Economics	26-11-91
8	Prem Chand Hart	Pol. Sc.	26-11-91
9	Om Prakash Gupta	Hindi	26-11-91
10	Kalpana Sharma	Chemistry	26-11-91
11	Kiran Bala	Sanskrit	23-12-91
12	Tripta Ahuja	English	23-12-91
13	Lal Singh	Hindi	26-12-91
14	Shata Kathuria	Economics	26-12-91
15	Naval Singh	History	26-12-91
16	Sushma Saluja	English	27-12-91 & 18-12-91
17	S.P. Gupta	Economics	26-12-91
18	Sudershan Bhatia	Hindi	23-12-91

स्वैच्छिक कल्याण संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरुपयोग

2505. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्वैच्छिक कल्याण संगठन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके जिला-वार नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन संगठनों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करती है ;

(घ) क्या इन संगठनों द्वारा धन-राशि का दुरूपयोग किये जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) देश